वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर परिक्षेत्र द्वारा बीजापुर जिले के बीजापुर वन मंडल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 202 (नया 163) में भोपालपट्नम से तारलागुड़ा सेक्शन में LWE योजना अंतर्गत 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु 104.8847 हे. (39.6921 हे. आरक्षित वन, 40.8701 हे. संरक्षित वन, 5.4125 हे. नारंगी वन तथा 18.910 हे. राजस्व वन) भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार दाण्डिक वृक्षारोपण की शर्त पर वन भूमि, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 10/11/2017
स्थानः रायपुर

(आर. के. टेम्टा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़, रायपुर